"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 643] नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 7 अगस्त 2025 — श्रावण 16, शक 1947

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 7 अगस्त 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 15–11/15–02/2025/6/1882. – छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16–ग की उप–धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये ''जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025'' विभाग के अधिसूचना क्र./एफ 15–11/15–02/2025/6/1100 दिनांक 02–04–2025 जारी की गई थी।

(2) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 02.04.2025 के अनुपालन में पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा परीक्षण उपरांत ''प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2025'' के क्रियान्वयन हेतु अनुसूची–एक, दो एवं तीन प्रस्तुत किया है।

(3) अतएव विभाग द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 02.04.2025 की कंडिका 05–(छ) के अनुसरण में, राज्य शासन एतद् द्वारा, जिला दुर्ग के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रेषित अनुसूची–एक, दो एवं तीन को जारी करता है। संबंधित सदस्य/व्यक्ति या हितबद्ध पक्षकार अपना अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति, सचिव, छत्तीसगढ़ भाासन, सहकारिता विभाग को संबोधित करते हुए ''कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़, विभागाध्यक्ष कार्यालय, ब्लॉक–बी, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, पिन–492002'' में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से दिनांक 22.08.2025 तक प्रस्तुत कर सकेगें। लिफाफे के ऊपर ''जिला दुर्ग की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन हेतु अभ्यावेदन/दावा या आपत्ति'' अंकित किया जावे। निर्धारित दिनांक के पश्चात प्राप्त अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। अभ्यावेदनों, दावा या आपत्ति पर राज्य शासन का विनिश्चय अंतिम होगा, जो सभी पक्षो पर बंधनकारी होगा।

(4) प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण कर, ''जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025'' की अनुसूची–एक, दो एवं तीन का अंतिम प्रकाशन कर, पुनर्गठन योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

संलग्न :– अनुसूची–एक, दो एवं तीन

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी.आर. प्रसन्ना, सचिव.

जिला–दुर्ग, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025

अनुसूची – एक

संबंद्ध बैंक : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, दुर्ग

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित हैं (प्रभावित सोसाइटी)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसाइटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा हैं (परिणामी सोसाइटी)
1	2	3	4
1	निरंक		

जिला–दुर्ग, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025

अनुसूची – दो

संबद्ध बैंक — जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, दुर्ग

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित हैं (प्रभावित सोसाइटी)	नवीन सोसायटी	नवीन सोसायटी का कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)
1	2	3	4
1	सेवा सहकारी समिति मर्यादित कोड़िया(दुर्ग)	धनोरा	धनोरा, हनोदा, खम्हरिया, बोरसी, रिसाली
2	वृहत्ताकार सहकारी समिति मर्यादित नगपुरा	दमोदा	दमोदा, बोरई, कुर्सीडीह
3	सेवा सहकारी समिति मर्यादित रसमड़ा	गनियारी	गनियारी, पीपरछेड़ी, खुरसुल
4	सेवा सहकारी समिति मर्यादित मचान्दुर	कातरो	कातरो, मातरोडीह
5	सेवा सहकारी समिति मर्यादित बोरी	दनिया	दनिया
6	सेवा सहकारी समिति मर्यादित नवागांव	पथरिया	पथरिया, डोमा
7	सेवा सहकारी समिति मर्यादित लिटिया	पुरदा	पुरदा, गाड़ाडीह, करेली
8	सेवा सहकारी समिति मर्यादित डोड़की	अरसी	अरसी, सुखरीकला
9	सेवा सहकारी समिति मर्यादित धमधा	करेली	करेली, पड़ोरा, दानीकोकड़ी, बसनी
10	सेवा सहकारी समिति मर्यादित रहटादाह	पेन्ड्री	पेन्ड्री, नवागांव, गोबरा
11	सेवा सहकारी समिति मर्यादित ठेंगाभाट	दारगांव	दारगांव, मोहलई, टठिया
12	सेवा सहकारी समिति मर्यादित देवरी	नंदवाय	नंदवाय, नंदेली, भरनी
13	सेवा सहकारी समिति मर्यादित अहिवारा	नंदनी खुदनी	नंदनी खुदनी, पिटौरा, देवरझाल, धिकुड़िया
14	सेवा सहकारी समिति मर्यादित पाहरा	सेमरिया	सेमरिया, घटियाखुर्द, खपरी
15	सेवा सहकारी समिति मर्यादित मोहरेंगा	खजरी	खजरी, बिरोदा
16	सेवा सहकारी समिति मर्यादित कोड़िया(ध)	मेड़ेसरा	मेड़ेसरा, पोटिया, पथरिया, सहगांव
17	सेवा सहकारी समिति मर्यादित नारधा	सुरडुंग	सुरडुंग, खेरथा

18	सेवा सहकारी समिति मर्यादित ओटेबंद	मलपुरीकला	मलपुरीकला
19	सेवा सहकारी समिति मर्यादित घोठा	हिरेतरा	हिरेतरा, बिरेभाठ, अकोली, अछोली
20	सेवा सहकारी समिति मर्यादित घोटवानी	भाठाकोकड़ी	भाठाकोकड़ी, मुड़पार, खैरझिटी
21	सेवा सहकारी समिति मर्यादित कन्हारपुरी	सिल्ली	सिल्ली, परसुल्ली
22	सेवा सहकारी समिति मर्यादित केसरा	जरवाय	जरवाय बोरेन्दा
23	सेवा सहकारी समिति मर्यादित बठेना	सिकोला	सिकोला, टोला, चंगोरी
24	सेवा सहकारी समिति मर्यादित औधी	उरला	उरला, देवबालौदा, कुगदा
25	सेवा सहकारी समिति मर्यादित पहडोर	महकाखुर्द	महकाखुर्द, महकाकला, परेवाड़ीह, मोरिद
26	सेवा सहकारी समिति मर्यादित डीडाभाठा	असोगा	असोगा, कौही
27	सेवा सहकारी समिति मर्यादित जामगांव आर	बोरवाय	खोला, बासीन, बोरवाय, औरी
28	सेवा सहकारी समिति मर्यादित बटरेल	अरमरीखुर्द	अरमरीखुर्द, रीवागहन
29	वृहत्ताकार सहकारी समिति मर्यादित सेलूद	ढ़ौर	ढ़ौर, अचानकपुर, मुडपार, चुनकट्टा
30	सेवा सहकारी समिति मर्यादित फुण्डा	अरसनारा	अरसनारा, चीचा
31	सेवा सहकारी समिति मर्यादित फेकारी	धौराभाठा	धौराभाठा

जिला–दुर्ग, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025

अनुसूची – तीन

संबंद्ध बैंक : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, दुर्ग

क्र.	विद्यमान सोसाइटी जो प्रभावित हैं (प्रभावित क्षेत्र)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्राम का नाम)	विद्यमान सोसाइटी जिसके अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा हैं (परिणामी सोसाइटी)	नवीन सोसाइटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुडा है
1	2	3	4	5
1	निरंक			

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर से मद्रित तथा प्रकाशित – 2025.